भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

***

सं. 2018/सिक.(ई)/पीएम-3/24 नई दिल्ली, दिनांक 23.04.2019

प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय रेलें, आरपीएसएफ, अ.अ.मा.सं., कोर
आईसीएफ, केआरसीएल, निर्माण/उ.प.रे एवं प.रे.
निदेशक जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ तथा
निदेशक, जेडटीआई/एमएलवाई/एससीआर.

विषय: सहायक उप निरीक्षक तथा हेड कांस्टेबल के रैंक तक की पदोन्नति के लिए रे.सु.ब. अधिनियम, 1987 के नियम 72 के अंतर्गत विभागीय चयन संबंधी निर्देश।

***

इस पत्र के साथ सहायक उप निरीक्षक तथा हेड कांस्टेबल के रैंक तक की पदोन्नति के लिए रे.सु.ब. अधिनियम, 1987 के नियम 72 के अंतर्गत विभागीय चयन के संबंध में महानिदेशक/आरपीएफ द्वारा जारी किए गए दिनांक 18.04.2019 के निर्देश सं. 51/2019 की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस निर्देश के प्रावधानों का आगामी चयन में ध्यानपूर्वक पालन किया जाए और बल के सदस्यों के बीच इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए।

(रेनु पी. छिब्बर)
डीआईजी/आरएंडटी
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

***

सं. 2018/सिक.(ई)/पीएम-3/24 नई दिल्ली, दिनांक 18.04.2019

2019 का निदेश सं. 51

विषय: हेड कांस्टेबल तथा सहायक उप निरीक्षक के रैंक तक की पदोन्नति के लिए नियम, 72 के अंतर्गत विभागीय चयन

***

1) रे.सु.ब. अधिनियम, 1957 की धारा 8 के साथ पठित रे.सु.ब. अधिनियम, 1987 के नियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रे.सु.ब. अधिनियम, 1987 के नियम 70, 71 तथा 72 की सहायता से दिनांक 15.05.2009 के स्थाई आदेश सं. 87 और दिनांक 19.08.2015 के स्थाई आदेश सं. 87 (संशोधित) के अधिक्रमण में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

2) हेड कांस्टेबल तथा सहायक उप निरीक्षक के रैंक तक की पदोन्नति के लिए रे.सु.ब. अधिनियम 1987 के नियम 72 के अंतर्गत विभागीय चयन, रे.सु.ब. अधिनियम, 1987 के प्रावधानों तथा इस निदेश में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

3) **नोडल सीएससी का नामांकन** :-महानिदेशक/आरपीएफ एक नोडल सीएससी अथवा डिप्टी सीएससी को नामांकित करेंगे जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाएंगे तथा चयन को समय पर, पारदर्शिता और सुगमता से आयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्य पीसीएससी से समन्वय स्थापित करेंगे। नोडल सीएससी अथवा डिप्टी सीएससी सभी जोनों द्वारा अधिसूचना जारी करने के लिए समान तिथि और पीसीएससी तथा डीपीसी के परामर्श लिखित परीक्षा के लिए समान तिथि का निर्धारण करेंगे। चयन प्रक्रिया से संबंधित नोडल सीएससी या डिप्टी सीएससी के अनुदेश सभी जोनों के लिए बाध्यकारी होंगे।

4) **अधिसूचना:** नोडल सीएससी/डिप्टी सीएससी द्वारा अधिसूचना की तारीख तथा प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा और रे.सु.ब. अधिनियमों तथा इस निदेश में मौजूद दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन आयोजित करने के लिए प्रत्येक जोन द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। इस अधिसूचना में नोडल सीएससी/डिप्टी सीएससी द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों की संख्या, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया आदि का उल्लेख होगा।

5) **विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का गठन :** महानिदेशक/आरपीएफ के अनुमोदन के पश्चात् नोडल सीएससी/डिप्टी सीएससी सभी जोनों के लिए सहायक उप निरीक्षक अथवा हेड कान्स्टेबल के रैंक तक की पदोन्नति के लिए संयुक्त चयन आयोजित करने हेतु डीपीसी के सदस्यों को नामांकित करेंगे। वह समूहों में क्षेत्रीय रेलों और आरपीएसएफ को एकत्रित करके एक से अधिक डीपीसी नामित कर सकते हैं।

i. डीपीसी का एक सदस्य अ.जा/अ.ज.जा वर्ग से संबद्ध होना चाहिए।

ii. डीपीसी का कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उक्त समिति के किसी अन्य सदस्य के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए।

iii. डीपीसी का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। बहरहाल, इसका दायित्व संयुक्त रूप से और पृथक रूप से विभागीय पदोन्नति समिति के सभी सदस्यों पर होगा।

iv. प्रत्येक डीपीसी में कम-से-कम किसी एक सदस्य को हिंदी/राजभाषा में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

v. नोडल सीएससी और डिप्टी सीएससी संबंधित पीसीएससी के परामर्श से किसी भी जोन/आरपीएसएफ से डीपीसी के सदस्य के रूप में योग्य अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

6) **<u>डीपीसी के सदस्यों से प्रमाण-पत्र :</u>** विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पदोन्नति के लिए विचाराधीन उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार उनका निकट संबंधी नहीं है और न ही किसी उम्मीदवार में उनकी रुचि है। निकट संबंधी का आशय माता-पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन तथा भतीजा/भतीजी, चाचा/चाची (मामा-मामी), कज़न (भाई-बहन) एवं पहली शादी के संबंधी से है।

7) **<u>रिक्तियों का आकलन :</u>**

क) उन रिक्तियों की संख्या, जिनके लिए चयन किया जाना है, का आकलन रे.सु.ब. अधिनियम 1987 के नियम 70.4 में यथा उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् कुल रिक्तियां मौजूदा रिक्तियों का और विभागीय पदोन्नति समिति के गठन की तारीख से अगले 12 माह की प्रत्याशित रिक्तियों + ऐसे जोड़ का 10% तथा प्रत्येक कोटि के तहत अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट सीमित प्रतिशत, यदि कोई हो, का जोड़ होंगी।

ख) प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए उम्मीदवार भी नियमों और इस निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन चयन के लिए पात्र होंगे।

ग) रिक्तियों का आकलन सही तरीके से किया जाए। संबंधित पीसीएससी रिक्तियों की सही गणना के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

8) **<u>चयन पद्धति:</u>** हेड कान्सटेबल और सहायक उप-निरीक्षक के पद के लिए रे.सु.ब. नियम 1987 के नियम 72 के अंतर्गत चयन किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले कम्पयूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अर्हता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की सेवा पंजिका के आकलन पर विचार किया जाएगा।

9) **<u>सीबीटी आयोजित करने के लिए एजेंसी नियुक्त करना:</u>**

i) डीपीसी के अध्यक्ष द्वारा सीबीटी आयोजित करने के लिए किसी प्रख्यात एजेंसी को नियुक्ति की जाएगी, जिसके पास आरआरबी मानदंडों के अनुसार सरकारी विभागों/आरआरबी/आरआरसी के साथ कार्य करने का पिछला अनुभव हो। डीपीसी के अध्यक्ष, नामित/चयनित एजेंसी के साथ निबंधन एवं शर्तों के तौर-तरीके और प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे और तदनुसार करार तैयार करेंगे। यदि ठेके पर ली गई एजेंसी की निष्पक्षता पर कोई संदेह उठता है तो उन्हें प्राथमिक जांच के पश्चात् काली सूची में डाल दिया जाएगा।

ii) सीबीटी और चयन से संबंधित अन्य गतिविधियों का आयोजन करने के लिए वित्तीय निहितार्थ की व्यवस्था नोडल सीएससी अथवा डिप्टी सीएससी द्वारा की जाएगी। सीबीटी और अन्य प्रक्रियाओं में होने वाले व्यय को जोन की रिक्तियों के अनुसार सभी जोनों में आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा।

10) **<u>उम्मीदवारों द्वारा आवेदन:</u>**

क) आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार मौजूदा नियमों के अनुसार विषयगत चयन के लिए अपनी उपयुक्तता का आकलन करेंगे।

ख) आवेदन का तरीका ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन होगा, जैसा अधिसूचित किया गया हो।

11) **<u>सीबीटी का केन्द्र:</u>** डीपीसी के अध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक जोन में कम-से-कम एक सीबीटी केन्द्र हो।

12) **<u>उम्मीदवार की पहचान:</u>** सहायक उप निरीक्षक और हेड कान्स्टेबल के लिए नियम 72 के अंतर्गत चयन में भाग लेने के लिए पात्र पाए गए आवेदकों की सूची, क्षेत्रीय रेलों द्वारा तैयार की जाएगी और इसे डीपीसी के अध्यक्ष को अग्रेषित किया जाएगा। अध्यक्ष द्वारा सूची को समेकित किया जाएगा और रोल नम्बर आंबटित करने के लिए इसे एजेंसी को अग्रेषित किया जाएगा। डीपीसी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में चौकी स्तर पर संबंधित पीसीएससी द्वारा आवेदकों की सूची परिपत्रित की जाएगी और इसे क्षेत्रीय रेलों की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवारों की सूची में उम्मीदवार का नाम और यूआईएन, नियुक्ति की तारीख, भर्ती की तारीख, जोन तथा अन्य संबंधित सूचना लिखने के लिए कॉलम होने चाहिए। सभी उम्मीदवार प्रतिरूपण से बचने के लिए कमांड प्रमाण-पत्र सहित आधिकारिक फोटो पहचान-पत्र साथ लाएंगे, जिसमें पहचान के लिए उनका हस्ताक्षर हो। यह सुनिश्चित करना संबंधित पीसीएससी का उत्तरदायित्व होगा कि जब सभी उम्मीदवार सीबीटी के लिए आते हैं तो उनके पास कमांड प्रमाण-पत्र सहित आधिकारिक फोटो पहचान-पत्र हो, जिसमें उनका हस्ताक्षर सत्यापित किया गया हो।

13) **<u>कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी):</u>**

क) सीबीटी परीक्षा 90 मिनट की होगी। सभी क्षेत्रीय रेलों में सीबीटी का समय एवं तारीख समान होगी। यदि किसी जोन में एक सीबीटी केन्द्र में उम्मीदवारों को नहीं बैठाया जा सकता हो तो दो या उससे अधिक सीबीटी केन्द्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ख) सीबीटी केन्द्रों पर उम्मीदवार की उपस्थिति ली जाएगी।

ग) उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर ठेके पर ली गई एजेंसी के परामर्श से सीबीटी के स्थान एवं समय का निर्धारण किया जाएगा।

घ) सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सहित सभी प्रकार की लॉजिस्टिक व्यवस्था ठेके पर ली गई एजेंसी द्वारा की जाएगी।

ङ) नोडल सीएससी अथवा डिप्टी सीएससी सीबीटी केन्द्र पर पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठ वेतनमान तक के पद के आरपीएफ अधिकारियों को नामित करेंगे। प्रेक्षक, सीबीटी के दौरान सहायता के लिए पर्यवेक्षक के रूप में अपनी पसंद के एक ग्रुप 'सी' लिपिकवर्गीय कर्मचारी को ले सकते हैं।

च) प्रेक्षक के साथ-साथ पर्यवेक्षक के रूप में नामित सभी अधिकारी एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उक्त चयन में उनके परिवार का सदस्य/निकट संबंधी भाग नहीं ले रहा है और किसी भी उम्मीदवार के चयन में उनकी कोई रुचि नहीं है।

छ) सीबीटी में भाग ले रहे सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उम्मीदवार के साथ-साथ निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे।

ज) सीबीटी में हो रहे कार्यक्रमों की संपूर्ण कार्रवाई को भावी रिकॉर्ड के लिए साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी कैमरा पर वीडियोग्राफ/रिकॉर्ड किया जाएगा।

झ) प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार परीक्षा हॉल के भीतर ऐसी कोई भी पुस्तक, कागज अथवा इलैक्ट्रॉनिक उपकरण साथ न ले जाए, जिसका अनुचित साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता हो।

ञ) कोई भी उम्मीदवार, निरीक्षक अथवा आरपीएफ का कोई भी कर्मचारी किसी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए/किसी के द्वारा अनुचित साधन का इस्तेमाल करने में मदद करते हुए अथवा किसी अन्य कदाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

ट) डीपीसी द्वारा अधिसूचित निर्धारित समय से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

14) **<u>प्रलेखन:</u>** परीक्षा से संबंधित सभी कार्य समुचित प्रलेखन के साथ किए जाने चाहिए और चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मौखिक आदेशों से बचना चाहिए। संपूर्ण प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए।

15) **<u>निलंबित हुए सदस्य अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय/आपराधिक कार्रवाई लंबित है पर विचार:</u>** बल के उन सदस्यों, जो निलंबित हैं, जिनके विरुद्ध बड़ी शास्ति के तहत आरोप-पत्र जारी किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और वे जिनके विरुद्ध आपराधिक मामलों के अंतर्गत अभियोजन लंबित है, को भी चयन के लिए बुलाया जाएगा और पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता को सामान्य रूप से आंका जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के दिनांक 21/01/1993 के पत्र सं. ई(डीएंडए)92 आरजी 6-149(ए) में उपलब्ध कार्यपद्धति और दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

16) **<u>सीबीटी के लिए प्रश्न:</u>**

(i) सभी प्रश्न चार वैकल्पिक जवाबों (उत्तरों) सहित 'वस्तुनिष्ठ बहु विकल्प प्रकार' के होंगे। सभी प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। सभी प्रश्नों के बराबर अंक होंगे अर्थात् प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 (एक) अंक।

(ii) कम्प्यूटर के स्कीन पर प्रश्न इस प्रकार से आने चाहिए कि प्रत्येक उम्मीदवार को समान प्रश्न दिखाई दें और उत्तर के लिए समान चार विकल्प हों परंतु प्रश्नों तथा उत्तरों दोनों की क्रम संख्या भिन्न हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दो उम्मीदवारों को प्रश्नों का समान अनुक्रम नहीं मिलेगा। यही नहीं, उत्तरों के लिए चार विकल्पों का अनुक्रम अलग उम्मीदवार के लिए भिन्न होगा। इस व्यवस्था से एक-दूसरे की नकल उतारने के लिए उम्मीदवारों के पास गुंजाइश नहीं होगी।

(iii) प्रश्न पत्र दो समूहों में होगा अर्थात् समूह क तथा समूह ख।

क) समूह क में राजभाषा नीति एवं नियमों पर 10 प्रश्न होंगे। इस समूह के प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य नहीं होगा।

ख) समूह ख में इस निदेश के आगामी पैराग्राफों में दिए गए विषयों पर 90 प्रश्न निहित होंगे।

ग) उम्मीदवारों को 100 प्रश्नों में से किन्हीं 80 प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण:-

यदि कोई उम्मीदवार समूह क से किसी भी प्रश्न का जवाब न देने का निश्चय करता है तो उसे समूह ख के 90 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का जवाब देना होगा। यदि समूह क के सभी प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसे समूह ख के 90 प्रश्नों में से केवल 70 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि वह समूह क के केवल पांच प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसे समूह ख के 90 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों का जवाब देना होगा।

यदि कोई उम्मीदवार 80 प्रश्नों से अधिक का जवाब देता है तो उसके द्वारा दिए गए समूह ख के अंतिम प्रश्नों के ज्यादा जवाबों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

नोट:

<u>यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अंकों की न्यूनतम 10% अनिवार्य आवश्यकता राजभाषा नीति तथा नियमों से होना चाहिए परंतु इनका जवाब देना अनिवार्य नहीं किया गया है।</u>

(iv) डीपीसी के अध्यक्ष द्वारा जारी अनुदेशों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार ठेके पर ली गई एजेंसी इस निदेश में उल्लिखित विषयों के आधार पर प्रश्न-पत्र तैयार करेगी।

(v) राजभाषा के अलावा 90 प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के होने चाहिए:

क) 90 में से 10 प्रश्न उम्मीदवार के चारों ओर के वातावरण के लिए उसकी जागरुकता और समाज पर उसके प्रभाव की जांच करने; वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन के अवलोकन तथा अनुभव के ज्ञान की परीक्षा पर आधारित होंगे जैसा किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है। इस परीक्षा में भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, खेलकूद, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

ख) 90 में से 10 प्रश्न उम्मीदवार के गणित का मूल ज्ञान की परीक्षा पर आधारित होंगे। इन प्रश्नों में संख्या प्रणाली पर अंकगणित प्रश्न, पूर्ण संख्या, दशमलव और संख्या के बीच भिन्नता तथा संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ तथा हानि, छूट, तालिका एवं ग्राफ का उपयोग, समय तथा दूरी, आदि शामिल होंगे।

ग) 90 में से 10 प्रश्न सामान्य बुद्धि एवं तर्क, उपमा पर प्रश्न, स्थानिक दृश्य में समानता एवं भिन्नता, स्थानिक उन्मुखीकरण, समस्या समाधान विश्लेषण, विवेक, निर्णय लेना, दृश्य समृति, विवेकशील अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तार्किकता, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, अंगणित संख्या क्रम, गैर मौखिक क्रम, कूट एवं कूटानुवाद, विवरण निष्कर्ष, न्यायिक तार्किकता आदि के होंगे।

घ) शेष प्रश्न अर्थात् 60 प्रश्न उम्मीदवार के व्यावसायिक ज्ञान पर आधारित होंगे। आईपीसी, क्राइम पीसी, आईईए, आरपी(यूपी), रेलवे अधिनियम, सभी बड़े-छोटे अधिनियम एवं संविधान, मानवाधिकार, जेजे अधिनियम-2015,एनडीपीएस अधिनियम, आरटीआई अधिनियम आदि, रेलों पर अपराध, सामान्य संगठन सहित रे.सु.ब. अधिनियम 1957, आरपीएफ नियम 1987, स्थाई आदेश/निदेश, आपदा प्रबंधन तथा अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, विस्फोटक ओर आईईडी (एफएफआईईडी), रेल सेवा आचरण नियम 1966, वाणिज्यिक तथा अन्य रेलवे विभागों की कार्यप्रणाली, आरएसएमएस, आंतरिक सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक सुरक्षा यंत्रों आदि का संचालन एवं परिचालन, जनशक्ति योजना एवं प्रबंधन, सामाजिक मनोविज्ञान, सॉफ्ट कौशल प्रबंधन अथवा अन्य संबंधित विषयों आदि पर पूछे जाने चाहिए।

(vi) उम्मीदवारों को प्रत्येक सही जवाब के लिए 01 (एक) अंक दिया जाना चाहिए। प्रत्येक गलत जवाब (नकारात्मक अंकण) के 1/3 अंक काटे जाएंगे। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब नहीं दिया गया है के लिए कोई अंक न दिए जाएंगे और न ही काटे जाएंगे।

17) **<u>मूल्यांकन:</u>**

(क) ठेके पर ली गई एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

(ख) सीबीटी के पूरा होने के पश्चात् एजेंसी प्रावधान करेगी ताकि उम्मीदवार सीबीटी प्रारंभ होने से पूर्व एजेंसी द्वारा उसे उसके मोबाइल नं. और ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराई गई यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन करके अपने द्वारा दिए गए जवाबों को डाउनलोड कर सके।

(ग) सीबीटी के समाप्त होने के पश्चात् उत्तर कुंजी भी अपलोड कर दी जाए ताकि उम्मीदवार अपने द्वारा दिए गए जवाबों का मिलान कर सके।

18) **<u>सेवा का रिकॉर्ड :</u>**

(i) पात्र उम्मीदवारों की सूची परिपत्रित किए जाने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पीसीएससी अपने जोन के सभी उम्मीदवारों के पिछले 05 वर्षों के एपीएआर रिकॉर्ड डीपीसी को अग्रेषित करेंगे।

(ii) आरपीएफ नियम, 1987 के नियम 71.2 के अंतर्गत यथा उल्लिखित सेवा के रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाते हैं।

(iii) पीसीएससी चयन समिति को एपीएआर की सत्यापित प्रतिलिपियां मुहैया करवाएगा। पीसीएससी इसके अलावा यह भी स्पष्ट करेगा कि संबंधित कर्मचारी और उनके प्रतिनिधियों को आपूर्तित एपीएआर की प्रतियां उपलब्ध कर दी गई हैं, यदि किसी का निस्तारण न किया गया हो।

(iv) वे उम्मीदवार, जो सीबीटी में पास हो जाते हैं की एपीएआर अथवा पिछले 5 वर्षों की सीएसआर में वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाएगा। एपीएआर ग्रेडिंग के लिए निम्नलिखित मानकों के अनुसार अंक दिए जाएंगे:

ग्रेडिंग	आबंटित अंक
उत्कृष्ट	04
बहुत अच्छा	3.5
अच्छा	03
औसत	2.5
औसत से नीचे	00

(v) जब संबंधित अवधि के दौरान किसी भी कारण से एक या एक से अधिक एपीएआर नहीं लिखी गई होगी तो डीपीसी मांगी गई अवधि से पिछले वर्षों की एपीएआर पर विचार कर सकती है। यदि किसी मामले में यह भी मौजूद नहीं हैं तो डीपीसी विचार किए जाने के लिए अपेक्षित एपीएआर की संख्या को पूरा करने के लिए निचले ग्रेड की एपीएआर ले सकता है। यदि यह भी संभव न हो तो सभी उपलब्ध एपीएआर पर विचार किया जा सकता है।

19) **<u>चयन प्रक्रिया और पैनल की तैयारी:</u>**

क) सेवा के रिकॉर्ड की जांच होने के पश्चात् यथा शीघ्र चयन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने में विलंब नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया की रूपरेखा की तैयारी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, जो विभागीय पदोन्नति समिति का सदस्य न हो।

ख) एक ब्रॉड शीट तैयार की जानी चाहिए, जिसमें सीबीटी और सेवा के रिकॉर्ड के अंक निहित हों। डीपीसी के सभी तीन सदस्य रिक्तियों के आधार पर सफल उम्मीदवारों में से यथोचित पैनल बनाते हुए और रे.सु.ब. अधिनियम, 1987 के नियम 70 तथा 71 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों तथा आरक्षण नीति से संबंधित मौजूदा नियमों के अनुपालन में ब्रॉड शीट और चयन प्रक्रिया की कार्यवाहियों जो समग्र चयन प्रक्रिया और चयन आयोजित करने की प्रक्रिया, अ.ज./अ.ज.जा. आरक्षण आदि की स्थिति रेखांकित करेगी तैयार करके उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे

ग) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार कुल 100 अंकों (लिखित परीक्षा के लिए 80 अंक + सेवा के रिकॉर्ड के लिए 20 अंक) में से बराबर अंक लाते हैं, ऐसे मामले में वरिष्ठता पर विचार किया जाए। अत: वरिष्ठता में वरिष्ठ उम्मीदवार/उम्मीदवारों को पैनल में उनके कनिष्ठ से ऊपर रखा जाएगा।

घ) कार्यवाहियों में काट-पीट और उपरिलेखन नहीं होना चाहिए।

ङ) पदोन्नति पैनल तैयार करते समय पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

20) **<u>पैनल का अनुमोदन:</u>**

क) डीपीसी के अध्यक्ष द्वारा चयन कार्यवाहियों, ब्रॉड शीटों, सैम्पल प्रश्न पत्र और सही उत्तर तथा उपस्थिति शीट सहित अनुशंसित पैनल रे.सु.ब. अधिनियम, 1987 के नियम 70.7 के अनुसार पैनल के अनुमोदन के

लिए डीपीसी नामित करने वाले प्राधिकारी को भेजा जाएगा। एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैनल को अनुमोदित करने के बाद इसे सभी संबंधितों की सूचना के लिए तत्काल अधिसूचित किया जाना चाहिए।

ख) पैनलबद्ध सफल उम्मीदवार के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा दंड अथवा आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तो ऐसे मामले में उसके मामले को "सील्ड कवर केस" में रखा जाना चाहिए, जिसमें रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.01.1993 के पत्र सं. ई(डीएंडए) 92 आरजी 6-149(ए) में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा दंड अथवा उक्त अपराधिक कार्यवाही के पूरा होने पर निर्णय लिया जाएगा।

ग) अधिनियम के अनुसार तैयार किया गया पैनल इसके अनुमोदन की तारीख से अथवा इसके समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। पैनल की अधिकतम अवधि के रूप में एक वर्ष की अवधि में कोर्ट के स्थगन आदेश यदि कोई हो, में शामिल अवधि को छोड़ा जाना चाहिए।

घ) एक पैनल में बल के सदस्य के नाम को पद के लिए उसकी निरंतर उपयुक्तता के अध्यधीन रोका जाएगा। किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी पैनल से बल के सदस्य के नाम को हटाने के लिए आरंभ में पैनल को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी का विशिष्ट अनुमोदन अपेक्षित होगा। (संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.01.1993 का पत्र सं. ई(डीएंडए)92 आरजी 6-149(ए))

ङ) पैनल को अनुमोदित किए जाने के बाद सामान्य तौर पर इसे निरस्त अथवा इसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। यदि बाद में यह पाया जाता है कि इसमें प्रक्रियात्मक अनियमितताएं अथवा अन्य त्रुटियां हैं, जो पैनल को संशोधित करने अथवा इसे निरस्त करने के लिए बाध्य करती हैं तो इस पैनल को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ऐसा किया जाना चाहिए।

च) वास्तविक पदोन्नति का आदेश देने से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों को पदोन्नति के लिए चयनित पैनलबद्ध उम्मीदवारों के लिए अनुशासन एवं अपील अधिनियम और सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

21. <u>सामान्य</u>

क. जब कभी कोई डीपीसी गठित की जाती है तो नोडल सीएसी अथवा डिप्टी सीएससी, डीपीसी को सभी संबंधित दिशा-निर्देश, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के संबंधित परिपत्र अग्रिम में मुहैया करवाएंगे।

ख. डीपीसी सामूहिक रूप से अथवा पृथक रूप से निष्पक्ष और सहज चयन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होगी।

ग. चयन प्रक्रिया में कोई चरण न छूट जाए यह सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान पालन किए जाने वाले कार्यक्रमों/चरणों की जाँच सूची डीपीसी द्वारा तैयार की जाएगी।

घ. किसी भी उम्मीदवार द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन कि चयन प्रक्रिया समुचित रूप से नहीं हुई है, को डीपीसी के अध्यक्ष को अग्रेषित किया जाएगा, जो अभ्यावेदन के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

ङ. संबंधित पीसीएससी, नोडल सीएससी अथवा डिप्टी सीएससी और डीपीसी द्वारा बल के नामांकित सदस्यों का समय पर चयन और पदोन्नति करने के साथ-साथ समय पर रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किए जाएं।

च. महानिदेशक/आरपीएफ पारिस्थितिक अनिवार्यता को पूरा करने के लिए उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित/परिवर्तित कर सकते हैं।

(अरुण कुमार)
महानिदेशक/रे.सु.ब.